उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
सं0-16/2022/819/तीस-4-2022-30-4099(099)/142/2022
लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2022

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित मार्ग को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सम्भागों में मंजिली गाड़ी चलाने के लिये निश्चित करते हैं:-

अनुसूची

क्र0सं0	संभाग	मार्ग	दूरी (कि0मी0)
1	2	3	4
1	गाजियाबाद व मेरठ	बोटिनिकल गार्डन सेक्टर-37 नोएडा से कौशाम्बी-मेरठ एक्सप्रेस वे-परतापुर-मेरठ बाईपास-घंटाघर मार्ग	110

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सं0-16/2022/819(1)/तीस-4-2022-30-4099(099)/142/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

सं0-16/2022/819(2)/तीस-4-2022-30-4099(099)/142/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 28 जून, 2022 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

सं0-16/2022/819 (3)/तीस-4-2022-30-4099(099)/142/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3- सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.16/2022/819/XXX-4-2022-30-4099(099)/142/2022 dated 28 june,2022

Notification
No.16/2022/819/XXX-4-2022-30-4099(099)/142/2022
Lucknow: Dated 28 June, 2022

In exercise of the powers conferred under Section 68 (3)(ca) of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to formulate the route mentioned in colomn-3 of the Schedule below in the region mentioned in column-2 of the said Schedule for plying stage carriage-

SCHEDULE

Sr.No.	Region	Route	Distance (Km.)
1	2	3	4
1	Ghaziabad and Meerut	Botanical Garden Sector-37 Noida-Kaushambi- Meerut Expressway-Paratapur-meerut Bypass-Ghantaghar Route	110

By Order,

(L. Venkateshwar lu)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।